

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 28.10.2022

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-19 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

02 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना कोतवाली नगर पुलिस ने 01, थाना तरबगंज पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. विनोद पुत्र सहादुर निवासी राजापुरवा (पूरेसिधारी)थाना इटियाथोक गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 432/22, 02. श्रीमती गुड्डन देवी पत्नी सुरेश कुमार निवासी राजा पुरवा (पूरेसिधारी) थाना इटियाथोक गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 433/22, 03. मंशाराम पुत्र राम धीरज निवासी रानीपुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 434/22, 04. श्याम किशोर पुत्र श्याम लाल निवासी राजक पुरवा(पुरे सिधारी)थाना इटियाथोक गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 435/22, 05. उदय राज पुत्र श्याम किशोर निवासी राजक पुरवा (पुरेसिधारी) थाना इटियाथोक गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 436/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. असलम पुत्र जब्बार निवासी बालपुर हजारी थाना करनैलगंज जनपद गोण्ड के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 445/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना करनैलगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. बृजेश कुमार पुत्र रामलौटन कोरी निवासी ग्राम खजुरिया डीहा थाना-को0 कर्नलगंज,गोण्डा के कब्जे से 20ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 521/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 28.10.2022

चोरी करने के 02 आरोपी अभियुक्त चोरी के माल के साथ गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में चोरो के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना इटियाथोक पुलिस ने मु0अ0सं0-431/22, धारा 379,411 भादवि से सम्बन्धित टुल्लु पम्प चोरी करने के 02 अभियुक्त- 01.रामबाबू व 02. रामबरन को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी के 01 अदद मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेण्डर प्लस रजिस्ट्रेशन न0 UP43AX8869 व 01 अदद टुल्लु पम्प बरामद किया गया। उक्त अभियुक्तगणों ने थाना इटियाथोक क्षेत्र के अन्तर्गत टुल्लु पम्प चोरी किये थे जिसके संबंध में वादी विवेक सिंह द्वारा थाना इटियाथोक में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. रामबाबू पुत्र रामबचन निवासी सुकईपुरवा मौजा कुरासी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
02. रामबरन पुत्र रामदेव निवासी सुकईपुरवा मौजा कुरासी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0-431/22, धारा 379,411 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

- 01- चोरी की 01 अदद टुल्लु पम्पा।
02. 01 अदद मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर रजि0न0-UP43AX8869 ।

गिरफ्तारकर्ता टीम:-

- उ0नि0 भगवान राव मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 28.10.2022

थाना खरगपुर पुलिस ने दुष्कर्म करने के वांछित अभियुक्त को मिशन शक्ति अभियान के तहत किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खरगपुर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान मु0अ0सं0-319/2022 धारा 376, 328, 354ख, 506 भादवि व 67(क) आईटी एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अजमल को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना खरगपुर क्षेत्र की रहने वाली एक महिला के साथ दुष्कर्म किया तथा उसका वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दिया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता द्वारा थाना खरगपुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना खरगपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अजमल पुत्र यहिया निवासी विशुनापुर बाजार थाना खरगपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-319/2022 धारा 376, 328, 354ख, 506 भादवि व 67(क) आईटी एक्ट थाना खरगपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

प्रभारी निरीक्षक अभिषेक सिंह मय टीम।